



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1208।
No. 1208।

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2012/आषाढ़ 8, 1934
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2012/ASADHA 8, 1934

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2012

का.आ. 1439(अ).—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्वाग-पत्र स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के निबन्धन अनुसार डॉ. दिनेश लाओरिया, सदस्य (स्वास्थ्य) को राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) के सदस्य के पद से 15-6-2012 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया गया है।

[फा. सं. 3-25/2011/सीडब्ल्यू-1]

डॉ. विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2012

S.O. 1439(E).—Consequent upon the acceptance of his resignation by the competent authority, Dr. Dinesh Laroia, Member (Health), National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has been relieved from the post of Member with effect from 15-6-2012 (AN) in terms of Section 5(2) of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.

[F. No. 3-25/2011-CW-I]

Dr. VIVEK JOSHI, Jt. Secy.